उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग
संख्या-3/2016-आडिट-954/दस-2016-370(2)/2016
लखनऊ : दिनांक : 04 नवम्बर, 2016

कार्यालय-आदेश

निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग के पत्र संख्या-बजट/शा0-320, दिनांक 19-10-2016 के द्वारा यह अवगत कराया गया है कि जिला लेखा परीक्षा अधिकारी कार्यालय, गोण्डा का डी0डी0ओ0 कोड निरस्त हो जाने के कारण नवसृजित देवीपाटन मण्डल कार्यालय में शासन द्वारा तैनात उप निदेशक श्री प्रेम नाथ सिहं द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने के कारण देवीपाटन मण्डल कार्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन आदि के आहरण-वितरण का कार्य सम्प्रति सम्भव नहीं हो पा रहा है। अत: उक्त मण्डल में किसी उप निदेशक स्तर के अधिकारी की तैनाती/प्रभार दिये जाने संबंधी आदेश शासन स्तर से जारी की जाय, ताकि उक्त मण्डल के अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन आदि के आहरण-वितरण का कार्य सम्पन्न किया जा सके।

2- उपरोक्त के दृष्टिगत उप निदेशक देवीपाटन मण्डल के रिक्त पद पर नियमित अधिकारी नियुक्त होने तक डा0 संजीव कुमार, उप निदेशक, फैजाबाद मण्डल को उनके पदभार के साथ-साथ उप निदेशक देवीपाटन मण्डल का अतिक्ति प्रभार सौपे जाने का श्री राज्यपाल सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं।

3- डा0 संजीव कुमार, उप निदेशक, फैजाबाद मण्डल को उक्त अतिरिक्त प्रभार के लिए अलग से कोई वेतन भत्ता देय नहीं होगा।

(शीतल वर्मा)
विशेष सचिव।

संख्या-3/2016-आडिट-2-954(1)/दस-2016-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी,देवीपाटन मण्डल।
4- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, छठवॉ तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन्स, इलाहाबाद ।
5- संबंधित अधिकारी।
6- वैभागीक आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(उमा द्विवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in